2018/01363

APP-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत .... नियम ....

रामाराम .... बनाम .... सरकार

किस्म मुकदमा 75 RLR अपील नं. 56 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प भगवानपुरा में पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपील स्वीकार की गयी। निर्णय जुदागाना (पृथक) लिखकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प भगवानपुरा	LTI रामाराम चैनाराम खेताराम जोगाराम LTI जगताराम
26/6/18	पत्रावली केस अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर पेश हुई। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने मौजा सरवड़ी में स्थित है। जिसका ख.नं. 466 के सम्बन्ध में पेश की थी किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश मौजा सरवड़ी के बजाय [illegible] कर दिया। जिसे दुरुस्त किया जाए तथा पार्टी को सुना, पत्रावली (भागीरथ राम)	रामाराम अं.नि. 26/6/18

Scanned by CamScanner

संलग्न प्रार्थनापत्र व निर्णय का अवलोकन किया। निर्णय में गांव का नाम लिपीकीय त्रुटिवश सरवड़ी के जगह खाखरलाई कलां दर्ज हुआ है। जो अशुद्ध है। आदेश दिनांक 10/1/10 में खाखरलाई कलां के जगह सरवड़ी जरिये इन्द्राज करने के आदेश किये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......12/6/18

2018/01363

राजस्व लोक अदालत केम्प भगवानपुरा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 56/2018

वादीगण :– 1 रामाराम पुत्र सगराराम जाति जाट निवासी धतरवालो की ढाणी छाछरलाई, तहसील पचपचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. तहसीलदार पचपदरा जरिये राज0सरकार

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश

दिनांकः–18.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भगवानपुरा में प्रस्तुत की गई है। सरवड़ी (आदेशिका तारीख 26.6.18 अनुसार दुरुस्त)

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम छाछरलाई के खसरा न0 466, 524, 556, 629, मे अपीलाण्ट के लेख्य पत्र खातेदारी हक हिस्सा बेंचान के दस्तावेज जरिये नामान्तरकरण संख्या 355 दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम रामलाल दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार रामाराम पुंत्र समराराम है। अतः अपीलाण्ट का सही नाम रामाराम पुंत्र सगराराम करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता रामाराम, वगताराम, चोलाराम, चेनाराम, जेठाराम प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, राशकार्ड, परिचय पत्र व भामाशाह कार्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे रामलात की जगह रामाराम पुंत्र सगराराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम रामलाल की जगह रामाराम पुंत्र सगराराम करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प भगवानपुरा

Scanned by CamScanner